प्रेषक,

अपर सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद
क्षेत्रीय कार्यालय, मेरठ।

सेवा में ,

प्रबन्धक ,

अग्रसेन पब्लिक इण्टर कालेज,
दयानतपुर, गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक : मा0शि0प0/मान्यता /मे0/ दिनांक–

विषयः इण्टरमीडिएट परीक्षा के लिए नवीन/अतिरिक्त वर्ग/विषय की मान्यता प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

माध्यमिक शिक्षा परिषद की मान्यता समिति की संस्तुति पर सभापति ,माध्यमिक शिक्षा परिषद के अनुमोदनोपरान्त शासनादेश संख्याः 1164(2)/15–7–2020–1(38)/2019 लखनऊ दिनांक 29 अगस्त 2020 के द्वारा इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम–1987 की धारा 7क (क) के अन्तर्गत आपकी संस्था अग्रसेन पब्लिक इण्टर कालेज, दयानतपुर, गौतमबुद्धनगर को बालक/बालिका विद्यालय के रूप में परिषद की वर्ष 2022 की इण्टरमीडिएट परीक्षा से निम्नलिखित वर्ग/विषयों में सामान्य व विशेष प्रतिबन्धो के साथ नवीन/अतिरिक्तवर्ग/विषय की मान्यता दिये जाने के आदेश प्रदान किए है।

सामान्य प्रतिबन्ध

(1) इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम 1987 की धारा 7क(क) के प्राविधानो के अन्तर्गत इस पत्र द्वारा नवीन / अतिरिक्त वर्ग/विषय की प्रदत्त मान्यता को 11वीं कक्षा संचालित करने के पूर्व शिक्षा के प्रबन्ध की व्यवस्था ,शिक्षण व्यवस्था, साज–सज्जा ,शिक्षण सामग्री ,प्रयोगशाला ,भूमि/भवन पुस्तकालय ,प्राभूत, सुरक्षित कोष एंव आर्थिक स्थिति और अन्य प्रतिबन्धो की पूति कर ली जाय तथा विद्यालय के अनुशासन एवं प्रशासन की व्यवस्था सुनिश्चित कर जिला विद्यालय निरीक्षक के माध्यम से परिषद को अवगत कराये।

(2) इस मान्यता–पत्र के निर्गत होने की तिथि से दो वर्ष के अन्दर ही जिला विद्यालय निरीक्षक एंव परिषद को 11वीं कक्षा संचालित करने की विधिवत् लिखित सूचना रजिस्टर्ड डाक द्वारा दी जाय। अन्यथा प्रदत्त मान्यता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।

(3) इस पत्र मे अंकित विषयों के अध्यापनार्थ परिषद द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यताधारी पात्र व्यक्ति को कार्य पर लगाया जाय।

(4) नियमानुसार एक योग्य प्रधानाचार्य,'प्रधानाचार्या की नियुक्ति की जाय। यह प्रतिबन्ध केवल इण्टरमीडिएट की नवीन मान्यता पर ही प्रभावी होगा।

(5) इस पत्र द्वारा प्रदत्त मान्यता की नवीन कक्षायें सचालित करने का समस्त व्यय प्रबन्धाधिकरण द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा तथा इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम 1987 की धारा 7क(क) के समस्त प्राविधान यथावत लागू होंगे । इस निमित्त कोई अनुदान देय नही होगा ।

कृ0पृ0उ0

Scanned with OKEN Scanner

विशेष प्रतिबन्ध

(क) संस्थाधिकारी द्वारा प्रेषित मान्यता सम्बन्धी प्रस्तुत किये गये विवरण में यदि कोई सूचना/प्रमाण गलत अथवा मिथ्या पाया जाता है, अथवा कोई तथ्य छिपाया जाता है तो विद्यालय को प्रदत्त मान्यता निरस्त कर दी जायेगी ,जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व प्रबन्धाधिकरण का होगा।

(ख) अग्निशमन प्रमाणपत्र का नवीनीकरण कराना अनिवार्य होगा। नेशनल बिल्डिंग को 2005 के अनुरूप भवन निर्माण होने का प्रमाण जो प्रस्तुत किया गया है उसमें कोई अनियमितता पायी जाती है तो इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व संस्थाधिकारी का होगा।

(ग) विद्यालय का प्रबन्धतंत्र प्रत्येक तीन माह में विद्यालय में कार्यरत अध्यापकों एवं कर्मचारियों की सूची उनकी शैक्षणिक योग्यताओ के साथ परिषद के क्षेत्रीय कार्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायेंगे, अन्यथा विद्यालय को प्रदत्त मान्यता प्रत्याहरित कर ली जायेगी।

(घ) प्रतिभूति (जमानत) की धनराशी रूपरो 5000.00 (रूपये 5000 हजार प्रति वर्ग की दर से) विद्यालय के नाम एवं जिला विद्यालय के पदनाम में बन्धक करा कर प्रमाण निरीक्षक के माध्यम से भेजे।

(ड) यह मान्यता का आदेश माननीय उच्च न्यायालय में योजित विशेष अपील संख्या–25/2006 मंजू अवस्थी व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 06.11.2010 के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में योजित क्लियरी– फिकेशन अप्लीकेशन में पारित होने वाले निर्णय के अधीन होगा।

प्रदत्त मान्यता का विवरण

वर्ग	अनिवार्य विषय	वैकल्पिक विषय
इण्टर वैज्ञानिक वर्ग नवीन :	हिन्दी, अंग्रेजी, गणित, भौतिकविज्ञान, रसायनविज्ञान, जीवविज्ञान विषय।	

टिप्पणी–इस पत्र में अंकित समस्त सामान्य एंव विशेष प्रतिबन्धो की पूर्ति 6(छः) माह के अन्दर किया जाना आवश्यक होगा

भवदीय

(राणा सहस्रांशु कुमार "सुमन")
अपर सचिव
माध्यमिक शिक्षा परिषद
क्षेत्रीय कार्यालय ,मेरठ

पृष्ठाकन सं० मा0शि0प0/मान्यता /मे0/ 213(1-5) दिनांक 31.08.2020

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित अधिकारियो को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. उप सचिव, उत्तर प्रदेश शासन माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–7, लखनऊ।
2. सचिव ,माध्यमिक शिक्षा परिषद ,मुख्य कार्यालय ,प्रयागराज।
3. सम्भागीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, मेरठ।
4. जिला विद्यालय निरीक्षक, गौतमबुद्धनगर।
5. इण्टरमीडिएट परीक्षा अनुभाग ,माध्यमिक शिक्षा परिषद,क्षेत्रीय कार्यालय ,मेरठ।

(राणा सहस्रांशु कुमार "सुमन")
अपर सचिव

Scanned with OKEN Scanner